संख्या-190 / 2015 / 1022आ.न.यो. / 9-8-15-39आ.न.यो(बजट) / 2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों को पूर्व में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत विभिन्न नगर पंचायतों को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजनान्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायतों के द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाओं के आधार पर, सम्बन्धित कार्यो हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि पूर्व में स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित नगर पंचायतों द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोग करते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः आदर्श नगर योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न 13 नगर पंचायतों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवशेष धनराशि चालू कार्यो हेतु अवमुक्त करते हुए, कुल धनराशि रूपये 592.29 लाख (**रूपये पांच करोड़ बानवे लाख उन्तीस हजार मात्र**) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रमांक	**निकाय/जनपद का नाम**	**शासनादेश संख्या एवं दिनांक**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि**	**पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि**	**निर्गत की जाने वाली अवशेष धनराशि**
1	2	3	4	5	6
1	न.पं. देवरनियां, जनपद-बरेली	166 / 2015 / 302आ.न.यो. / 9-8-2015-07आ.न.यो.(बजट) / 2015 दिनांक 13.3.2015	50.00	25.00	25.00

http://shasanadesh.up.nic.in

		296/2404आ.न.यो./9-8-2014-30आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014	75.00	37.50	37.50
2	न.पं. गोपामऊ, जनपद-हरदोई	296/2404आ.न.यो./9-8-2014-30आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014	20.00	10.00	10.00
3	न.पं. जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर	140/2015/3010आ.न;यो./9-8-2014-45आ.न.यो.(बजट)/14 दिनांक 15.1.2015	20.00	10.00	10.00
4	न.प. कटेरा, जनपद-झांसी	440/2645आ.न.यो./9-8-14-38आ.न. यो.(बजट)/2014 दिनांक 31.12.2014	27.00	13.50	13.50
5	न.प. सहजनवा, जनपद-गोरखपुर	149/2015/233आ.न.यो./9-8-2015-01आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 04.02.2015	268.68	134.34	134.34
6	न.पं. दरियाबाद, जनपद-बाराबंकी	172/2015/538आ.न.यो./9-8-2015-09आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 25.3.2015	200.00	100.00	100.00
7	न.प. हैदराबाद, जनपद-उन्नाव	157/2015/108आ.न.यो./9-8-2015-04आ.न.यो.(बजट)/15 दिनांक 13.2.2015	110.00	55.00	55.00
8	न.पं. ककोड़, जनपद-बुलन्दशहर	147/2015/232आ.न.यो./9-8-2015-02आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 04.02.2015	46.91	23.455	23.455
9	न.पं. जैथरा, जनपद-एटा	166/2015/302आ.न.यो./9-8-2015-07आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 13.3.2015	35.00	17.50	17.50
10	न.पं. करनावल, जनपद-मेरठ	166/2015/302आ.न.यो./9-8-2015-07आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 13.3.2015	100.00	50.00	50.00
11	न.प. सहतवार, जनपद-बलिया	167/2015/249आ.न.यो./9-8-2015-06आ.न.यो.(बजट)/2015 दिनांक 13.3.2015	75.00	37.50	37.50
12	न.पं. बेल्थरारोड, जनपद-बलिया	293/2283आ.न.यो./9-8-2014-27आ.न. यो.(बजट)/2014 दिनांक 20.10.2014	77.00	38.50	38.50
13	न.पं. ऊगू, जनपद-उन्नाव	296/2404आ.न.यो./9-8-2014-30आ.न.यो.(बजट)/2014 दिनांक 29.10.2014	79.99	39.995	39.995
		योग-	**1184.58**	**592.29**	**592.29**

(रूपये पांच करोड़ बानवे लाख उन्तीस हजार मात्र)

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक-"2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उसके समतुल्य निकायों को सहायता-04-उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-01- आदर्श नगर विकास योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि को नागर निकायों के आदर्श नगर योजना के संचालन हेतु खोले गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23.3.2015 में निर्धारित व्यवस्थानुसार आगामी 07 दिवस के अन्दर ई-पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित निकायों के बचत खाते में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त् निकायों को अवमुक्त् की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 30.9.2015 तक के लिए निर्धारित है। अत: उक्त अवधि में द्वितीय किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. सम्बन्धित नगर पंचायतों को आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों से सम्बन्धित स्तम्ब 03 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in